|| जय गुरु नाना || || जय महावीर || || जय गुरु राम ||

श्री गणेश जैन छात्रावास

(अन्तर्गत- श्री अखिल भारतवर्षीय साधुमार्गी जैन संघ, बीकानेर)

विवरणिका

सत्र- 2026-27

स्थापना:-

स्वर्गीय आचार्य प्रवर 1008 श्री गणेशीलालजी म.सा. ने त्याग, शौर्य एवं आध्यात्म स्थली उदयपुर में विराजते हुए अपने प्रवचन में फरमाया कि समाज को धार्मिक, आध्यात्मिक एवं व्यवहारिक दृष्टि से समुन्नत करने हेतु बालकों का समुचित चरित्र निर्माण अत्यन्त उपयोग एवं आवश्यकता है। समाज को इस ओर सगज एवं निरन्तर प्रयत्नशील रहना होगा कि इन भावी सृष्टाओं का जीवन किस भांति सुसंस्कृत, अनुशासित, संस्कारित, सुचारित्रिक, धर्मानुरागी एवं विनय गुण युक्त बन सके।

श्री अखिल भारतवर्षीय साधुमार्गी जैन संघ, बीकानेर के कर्मठ पदाधिकारियों के लिए यह उद्बोधन प्रेरणादीप का कार्य कर गया। इसी पावन प्रेरणा से 1 अगस्त 1964 को स्वर्गीय आचार्य प्रवर की पुनीत स्मृति में श्री अखिल भारतवर्षीय साधुमार्गी जैन संघ, बीकानेर संघ द्धारा श्री गणेश जैन छात्रावास की स्थापना की गई। आरम्भ में इसका संचालन अशोक नगर में किराये के भवन में किया गया। श्री अखिल भारतवर्षीय साधुमार्गी जैन संघ, बीकानेर द्धारा पद्मिनी मार्ग, राणाप्रताप नगर में निर्मित नूतन छात्रावास भवन का उद्घाटन समाजसेवी, उदारमना, शिक्षाप्रेमी श्रीमान् गणपतराज जी सा. बोहरा, मद्रास द्धारा संवत 2029, ज्येष्ठ शुक्ला तेरस, शनिवार, दिनांक 24 जून 1972 को किया गया।

उद्देश्य:-

1. छात्रों की अन्तर्निहित प्रतिभओं का विकास करते हुए उनका सर्वांगीण विकास करना।
2. व्यावहारिक, नैतिक एवं धार्मिक शिक्षण द्धारा आचरण शुद्धि करना।
3. परिवार, समाज एवं राष्ट्र के प्रति सेवा भाव जागृत करना।
4. स्नेह, एकता, भातृत्व आदि गुणों का विकास करना।
5. व्यवस्थित दिनचर्या के साथ नियमित जीवन जीने की प्रवृत्ति विकसित करना।
6. छात्रावास परिसर को अक्षुण्ण व सुन्दर बनाने में सहयोग करना व सुन्दर बनाये रखना।

विशेषताएँ:-

1. सुविधा सम्पन्न भव्य भवन एवं विस्तृत परिसर।
2. खेलों की उत्तम व्यवस्था- वालीबॉल, क्रिकेट, केरम, चेस आदि।

3. सामान्य ज्ञानवृद्धन।
4. विशिष्टजनों के उद्बोधन एवं महापुरूषों की जयन्तियों का आयोजन।
5. समृद्ध वाचनालय एवं पुस्तकालय।
6. नैतिक संस्कार सृनज एवं धार्मिक पठन–पाठन की विशेष व्यवस्था।

सुविधाएँ:-

1. कमरे– छात्रावास में एकल छात्र कक्ष–41 एवं त्रिपल छात्र कक्ष–20 है। प्रत्येक कमरे में छात्र के लिए टेबल, कुर्सी, पलंग, अलमारी, पंखे एवं ट्युब लाइट की उचित व्यवस्था।
2. खेल– खेलों के लिए वॉलीबाल, क्रिकेट, केरम, चेस आदि की व्यवस्था।
3. पुस्तकालय एवं वाचनालय:– दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक एवं मासिक पत्र–पत्रिकाओं की व्यवस्था। ज्ञानवृद्धि हेतु पुस्तकालय द्वारा सम्बन्धित पुस्तकों का योगदान।

   श्री साधुमार्गी जैन संघ, उदयपुर द्वारा स्थापित आचार्य श्री नानेश बुक बैंक जो पौषधशाला, भड़भुजा घाटी पर स्थित हैं, से छात्रों की पाठ्यपुस्तकों की उपलब्धता। श्री अखिल भारतवर्षीय साधुमार्गी जैन संघ, बीकानेर के अन्तर्गत आचार्य श्री नानेश ध्यान केन्द्र में समता बुक बैंक चल रहा है व छात्रों की कोर्स सम्बन्धित पुस्तकें उपलब्ध कराई जाती हैं।

छात्रवृति/रियायत:-

आर्थिक दृष्टि से कमजोर व प्रतिभावान छात्रों को छात्रावास शुल्क में रियायत के लिए अलग से प्रार्थना–पत्र दिया जा सकता हैं। आय प्रमाण–पत्र का स्थनीय संघ द्वारा सत्यापन कराये जाने पर ही रियायत देने पर विचार किया जाता हैं। भारत सरकार द्वारा जैन समुदाय को अल्पसंख्यक का दर्जा प्राप्त होने पर समाज कल्याण विभाग राजस्थान सरकार द्वारा छात्रों को छात्रवृति प्रदान की जा रही हैं। विभाग की वेब साइट पर सम्पूर्ण जानकारी एवं आवेदन पत्र का प्रारूप प्राप्त किया जा सकता है।

भोजन व्यवस्था:-

प्रात: काल– नाश्ता:– दूध, चाय, पौहा, उपमा, खमण व मिठाई विशेष दिवसों पर दी जाती है।
भोजन– दोपहर:– भोजन में चपाती (चुपड़ी), दाल, सब्जी, आचार, पापड़ आदि।
सायंकाल– चपाती, दाल, सब्जी, चावल/खिचड़ी/पुलाव।

सप्ताह में एक बार मिष्ठान एवं त्यौहारों पर विशेष भोजन।

रविवार – को दिन में एक ही बार विशिष्ट (स्पेशल) भोजन दिया जाता है।

नियम

प्रवेशः-

1. स्नातकोत्तर स्तर तक के सभी संकायों के विभिन्न महाविद्यालयों में नियमित अध्ययनरत, अनुशासित, सुशील, व्यसनमुक्त, अध्ययनशील, स्वस्थ छात्रों को प्रवेश दिया जा सकेगा।
2. सभी सम्प्रदायों के जैन धर्मावलम्बी छात्रों को प्रवेश दिया जाता है। साधुमार्गी संघ के अनुयायियों को प्राथमिकता दी जा सकती हैं।
3. 80 प्रतिशत व इससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों को प्राथमिकता दी जावेगी।
4. फोटो सहित आवेदन पत्र के साथ निम्नांकित प्रमाण पत्र जमा कराना होगा–
   - ❖ पिछली कक्षा में उत्तीर्ण होने का प्रमाण–पत्र।
   - ❖ चरित्र प्रमाण–पत्र।
   - ❖ आय प्रमाण–पत्र।
   - ❖ स्थानीय संघ के अध्यक्ष/मंत्री द्वारा छात्र के सदव्यवहार के प्रमाण–पत्र।

   अध्यक्ष/मंत्री के नहीं होने की स्थिति में वहाँ के दो प्रतिष्ठित व्यक्तियों के प्रमाण–पत्र
   आवेदन पत्र दिनांक ..... तक जमा कराये जा सकते हैं।
5. प्रवेश के पूर्व छात्र के अभिभावक एवं स्थानीय संरक्षक को छात्र के साथ छात्रावास द्वारा दी जाने वाली दिनांक पर साक्षात्कार हेतु उपस्थित होना आवश्यक है। साक्षात्कार की दिनांक पर उपस्थित न होने पर प्रवेश रिक्त स्थान होने पर ही दिया जा सकेगा।
6. 31 मई को छात्रावास खाली करना होगा।
7. छात्रावास में बाहर से कोई भी सामान लेकर आने पर गृहपति को चेक करवाकर व अनुमति से ही कमरे में ले जा सकेंगे।

कमरों का आवंटनः-

कमरों का आवंटन संचालन समिति द्वारा किया जायेगा। एकल कक्ष प्राथमिकता के आधार पर स्नातकोत्तरीय छात्रों को दिये जावेंगे। स्थान रिक्त रहने की स्थिति में अथवा विशेष परिस्थितियों में अंतिम वर्ष या किसी भी कक्षा के छात्र को आवंटित किये जा सकेंगे। बिना गृहपति/संयोजक की अनुमति के कमरों का परिवर्तन स्वयं के स्तर पर नहीं किया जावेगा।

छात्रावास अवधिः-

छात्रावास सत्र 01 अगस्त से अगले वर्ष की 31 मई तक रहेगा। विशेष परिस्थिति में किसी छात्र को 31 मई के बाद रूकने की आवश्यकता हो तो नियमानुसार शुल्क देकर रूकने की स्वीकृति छात्रावास प्रबन्धन द्वारा दी जा सकेगी।

सुरक्षा/अमानत राशि:-

कमरा खाली करने के पश्चात यदि कोई दण्ड राशि छात्र से लेनी होगी तो राशि को अमानत राशि से काटकर शेष अमानत राशि अगली जुलाई माह में लौटा दी जावेगी।

बिजली उपयोग:-

कमरे में बिजली का उपयोग लाइट एवं पंखे के लिए ही किया जा सकेगा। अन्य उपकरणों के लिए विद्युत का उपयोग वर्जित है। अन्य विद्युत उपकरण रखना एवं उपयोग करते पाये जाने पर उपकरण जब्त कर दण्डित किया जावेगा। कमरे से बाहर रहने की स्थिति में बंद कमरे में बिजली बन्द रखना अनिवार्य होगा। यदि लापरवाही बरती गयी तो एक बार के सौ (100) रूपये दण्ड वसूला जावेगा।

अवकाश:-

छात्र को पठन कार्य अतिरिक्त समय में छात्रावास में रहना आवश्यक हैं। आवश्यक कार्यवश बाहर जाने की स्थिति में या आवश्यक कार्य से घर जाने हेतु गृहपति से अवकाश प्रपत्र भरकर स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक हैं। स्वाकृति अवधि में लौटना अनिवार्य है। छात्रावास में उपलब्ध अवकाश आवेदन पत्र स्वयं द्वारा गृहपति को प्रस्तुत करना होगा। संयुक्त आवेदन मान्य नहीं होगा।

दिनचर्या:-

निर्धारित दिनचर्या प्रत्येक छात्र को पालना अनिवार्य है। सामायिक/प्रार्थना वर्ष भर प्रात: 6:00 बजे से 7:00 बजे एवं सांय ऋतु के अनुसार निर्धारित समय में की जाती है। प्रतिदिन प्रार्थना, स्वाध्याय, सामायिक में उपस्थिति अनिवार्य रहेगी। प्रवेश के समय निर्धारित सामायिक, प्रतिक्रमण एवं धार्मिक पाठ्यक्रम दी गई अवधि में पूर्ण करना होगा। पाठ्यक्रम पूर्ण नहीं करने पर अथवा रूचि नहीं लेने की स्थिति में छात्रावास की सुविधाओं से वंचित किया जा सकेगा/छात्रावास से निष्कासन किया जा सकेगा।

सामायिक/प्रार्थना में अनुपस्थित रहने वाले छात्र को 100/- (सौ) रूपये प्रतिदिन आर्थिक दण्ड से दण्डित कर सकेंगे। पक्खी एवं पर्युषण पर्व में प्रतिदिन प्रतिक्रमण करना अनिवार्य है। बीकानेर के धार्मिक परीक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षा में यथासंभव भाग लेना अपेक्षित रहेगा।

चारित्रात्माओं के विराजने पर उनके दर्शन, वन्दन, समयानुसार प्रवचन श्रवण एवं पर्युषण पर्व आदि सामूहिक प्रवृत्तियाँ, श्रमदान आदि में भाग लेना अनिवार्य रहेगा।

कोचिंग एवं अन्य किसी भी अध्ययन हेतु छात्रावास से भोजन एवं सामायिक के समय जाना नहीं हो सकेगा। कोचिंग संस्थान में पढ़ने जाने की स्थिति में कोचिंग केन्द्र का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

सफाईः-

प्रत्येक छात्र को अपने कमरे को स्वयं साफ, स्वच्छ एवं व्यवस्थित रखना होगा। कूड़ा-करकट, कचरा-पात्र में ही डालना होगा। छात्रावास भवन की स्वच्छता व सुरक्षा का दायित्व प्रत्येक छात्र का है। भौतिक क्षति की पूर्ति छात्र/छात्र समूह से सुरक्षित (अमानत) राशि से की जावेगी।

अनाधिकृत निवासः-

छात्रावास में प्रवेशित छात्र के अलावा किसी अन्य व्यक्ति का निवास वर्जित है। अन्य छात्र/व्यक्ति का अनाधिकृत निवास पाये जाने पर छात्र को जत्काल छात्रावास से निष्काष्ति कर दिया जायेगा।

1. राजनैतिक दल, आपत्तिजनक संगठन में भाग लेना वर्जित रहेगा। भोजनशाला में जूते ले जाना वर्जित हैं।
2. तम्बाकू, गुटका, बीडी, सिगरेट एवं अन्य किसी प्रकार के मादक प्रदार्थो का उपयोग वर्जित रहेगा। इनमें लिप्त पाये जाने पर छात्र को तुरन्त प्रभाव से निष्कासित कर दिया जावेगा।
3. हिंसक एवं अवांछित हथियार/उपकरण अपनक पास रखना वर्जित रहेगा।
4. समाचार पत्र एवं पत्र-पत्रिकाएँ कमरों में नहीं ले जा सकेंगे।
5. कमरों में किसी भी प्रकार के चित्र लगाना वर्जित रहेगा।
6. प्रवेशित छात्रों के साथ आपस में मैत्रीपुर्ण व्यवहार करना आवश्यक हैं।
7. छात्रावास कर्मचारियों के साथ का सद्व्यवहार अपेक्षित हैं। दुर्व्यवहार अनुशासन हीनता मानी जावेगी, इस स्थिति में संचालक समिति द्वारा दण्डित एवं निष्कासित किया जा सकेगा।

उपस्थितिः-

छात्रावास में रात्रि 10:30 बजे बाद प्रवेश व बर्हिगमन सर्वथा वर्जित हैं। रात्रि 10:30 बजे उपस्थिति ली जावेगी। बिना आज्ञा बाहर रहने पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी। सुरक्षा अधिकारी/कर्मचारी छात्र को समय-समय पर चेतावनी देकर उसे निष्काषित करने की सलाह दे सकेंगे।

उपयोग में आने वाली वस्तुएँः-

- सामायिक उपकरण- आसन, दुप्पट्टा (पछेवड़ी), चोलपट्टा, पूंजनी, मुंहपत्ती (मुख वस्त्रीका) एवं नोट बुक।
- गणवेश- सफेद पेन्ट एवं सफेद शर्ट छात्रावास में प्रवेश होने पर लाना अनिवार्य हैं।
- बिस्तर- दरी, गदेला, तकिया मय-2 खोली, चद्दर बिछाने की-2, रजाई/कम्बल, ओढ़ने की सुती चद्दर-1, एवं मच्छरदानी आदि।
- बर्तन- थाली-1, कटोरी-3, छात्रावास स्टोर से भी धरोहर राशि 200/- (दो सौ) रूपया जमा कराकर प्राप्त किये जा सकेंग।
- अन्य बर्तन- प्लेट-1, चम्मच-1, गिलास-1, लोठा-1, बाल्टी-1 आदि।
- जीवनोपयोगी अन्य आवश्यक सामग्री।

भोजनशाला सम्बन्धी नियम

- सांयकालीन भोजन सूर्यास्त से पूर्व करना अनिवार्य है।
- प्रत्येक अष्टमी, चतुदर्शी एवं पर्युषण पर्व के दिनों में हरी सब्जी भोजनशाला में नहीं बनेगी।
- छात्रावास से बाहर या छात्रावास में रहने की स्थिति में भोजनशाला में अल्पाहार एवं भोजन नहीं करने की सूचना गृहपति को समय से पूर्व देना अनिवार्य होगा।
- एक थाली में एक छात्र ही भोजन करेगा। सामूहिक भोजन नहीं करेंगे।
- भोजनशाला में ही भोजन करना अनिवार्य होगा। कमरे में अल्पाहार एवं भोजन ले जाना अथवा करना वर्जित एवं दण्डनीय है। झूठा डालना वर्जित एवं दण्डनीय है।
- अपने अल्पाहार एवं भोजन के बर्तन छात्र को स्वयं साफ करने होंगे।
- प्रात: कालीन दूध, नाश्ता निर्धारित समय में लेना होगा।
- छात्र के पारिवारिकजन, संयोजक/सह-संयोजक/गृहपति की अनुमति पर अतिथि के रूप में भोजन कर सकेंगे। एक माह में एक से अधिक बार भोजन लेने पर निर्धारित राशि जमा करानी होगी।
- भोजनशाला एवं भोजन कक्ष में जूते-चप्पल ले जाना सर्वथा वर्जित रहेगा। इन्हें निर्धारित स्थान पर ही व्यवस्थित रखना होगा।

<u>विशेष:-</u>

- उपर्युक्त सभी नियमों के अतिरिक्त संस्था एवं छात्रों के हित की दृष्टि से समय-समय पर जो भी नियम/उपनियम संघ अथवा संचालन समिति द्धारा बनाये जायेंगे उनकी पालना करना प्रत्येक छात्र एवं अभिभावक के लिए अनिवार्य होगा। अनुशासन हीनता की स्थिति में गृहपति द्धारा समूचित कार्यवाही कर छात्र को निष्कासित किया जा सकेगा।
- छात्र द्धारा सत्र के मध्य में छात्रावास छोड़ने पर या छात्र को निष्कासित करने पर जमा करायी गयी फीस की राशि वापस नहीं लौटायी जायेगी।